

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Central Zone Bench,
Bhopal

Sub : Joint Inspection report of the Committee.

Ref : Hon'ble NGT order dated 28.07.2022 in O.A. No. 60/2022.

Sir,

With due respect, it is our honor to submit joint inspection report of the Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of 60/2022, Sohan Singh V/s State of Rajasthan & Others . The Joint inspection was carried out on dated 26/08/2022 by the following members:-

1. Shri Rahul Jain, SDM, Beawar, District- Ajmer (Raj.)-Nominee of District Collector, Ajmer
2. Shri Shyam Kapdi, Mining Engineer, Beawar (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh (Nodal Officer)

Attached herewith is the Joint inspection report (04 Pages) and Annexures (04 Nos).

Thanking You.
Yours Sincerely,

Deepak Tanwar
(Deepak Tanwar)
EE & Regional Officer,
RSPCB, Kishangarh
[Nodal Officer]

Joint Inspection Report of the Committee

Submitted in Reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Central Zone Bench, Bhopal

order dated 28-07-2022 in the matter of

Original Application No. 60/2022

Sohan Singh

Versus

State of Rajasthan & Others

Member of the committee

1. Shri Rahul Jain, SDM, Beawar, District- Ajmer (Raj.)- Nominee of District Collector, Ajmer
2. Shri Shyam Kapdi, Mining Engineer, Beawar, District- Ajmer (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh (Nodal officer)

Joint Inspection Report of the Committee

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Central Zone Bench, Bhopal, order dated 28.07.2022, in the matter of Original Application No. 60/2022, Sohan Singh versus State of Rajasthan and others, the committee of following 03 members visited the site i.e. Village- Kanpura, Devata, near Jawaja, Tehsil- Beawar, District-Ajmer on dated 26.08.2022, to record the factual situation and actions required to be taken:

1. Shri Rahul Jain, SDM, Beawar, District- Ajmer (Raj.)-Nominee of District Collector, Ajmer
2. Shri Shyam Kapdi, Mining Engineer, Beawar, District-Ajmer (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh (Nodal Officer)

As per the order of Hon'ble NGT, the committee verified the factual status on these following issues: -

1. Rampant illegal mining activities being done upon Aravali mountain situated at Village- Kanpura Devata, near Jawaja, Tehsil- Beawar, District-Ajmer, Rajasthan on lease no. 05/92.
2. Illegal mining without taking any due permission from Rajasthan State Pollution Control Board or Environmental clearance.
3. Continuous destruction of Aravali mountain by illegal mining by Respondent no. 8.
4. Loss of sustainability of the environment. Continuous destruction of forest plants and disturbance of ecosystem of wild animals and birds.
5. False public notice published in Dainik Bhaskar dated 25.06.2022 stated that there is no illegal mining activities in the said area.
6. Ponds/water bodies are damped with soil/sand due to illegal mining activities by Respondent No. 8.

Field Observations:-

- A. Mining Engineer, Beawar has reported that mining lease area, ML No. 05/92 is not situated in Aravali Range and does not come under Forest area too. Mining lease number 05/92 is a sanctioned lease with total area of 4.8907 hectares with lease validity upto 27.04.2049 for excavation of minor minerals i.e. Quartz and Feldspar.

Mining plan was approved on dated 30.03.2021 and is valid upto 2023-24. Mining activities are presently stopped due to lack of environmental clearance and consent to operate from the Rajasthan State Pollution Control Board. [Annexure-1]

B. Complaints regarding illegal mining activities were received in Mining Office, Beawar and the same were verified on dated 23.11.2016, 30.03.2017, 09.07.2021, 19.10.2021, 20.10.2021, 21.06.2022, 04.08.2022 and 18.08.2022. During all of above verification, no mining activities were observed on site. [Annexure-2]

C. During joint verification dated 26.08.2022, following observations were made:

- i) No mining activities were observed at ML. No. 05/92, Village- Kanpura Devata, near Jawaja, Tehsil- Beawar, District-Ajmer
- ii) Mining lease is presently in the favour of Smt. Nalini Bansal with ML. No. 05/1992 for excavation of Quartz and feldspar. No sign/proof of fresh mining activities was observed on the site.
- iii) A notice board showing name of the lessee, address of the mine and validity of the mine was found on the site.
- iv) Boundary pillar "C" was observed, all other boundary pillars were not found during verification.
- v) Total numbers of five (5) pits were observed on the site.

D. During physical verification and calculations made by Mining Department, it was observed that the total quantity of the excavated mineral ore is 18435.1 Tonnes. Considering the recovery of minerals as per mining plan i.e. 70%, the total excavated mineral was thus, 12904.5 Tonnes. However, the mining lease was operated upto 2008 and the excavated mineral as per the records with Mining Office is 12576.04 Tonnes and thereafter, the production/transportation from the said mining lease is Nil till date. Therefore, a difference of 328.46 Tonnes of excavated mineral was calculated. [Annexure-3]


E. A notice was issued to mining lease holder Smt. Nalini Bansal W/o Lt. Shri Ramesh Chand Bansal by Mining Office, Beawar vide letter dated 29.08.2022 for clear violation of the provisions of MMCR 2017 and MMDR 2015, lack of boundary pillars and inadequate plantation on the site. A 30 day legal notice seeking reply from Lease holder for difference in actual excavation and excavation as per records, i.e. exceeded production of 328.46 Tonnes was issued by Mining Office, Beawar and for imposition of penalty of Rs. 295614/- on lease holder for the aforesaid violations.

- F. Mining lease does not come under forest area, no ponds or water bodies were found damped with soil/sand. Therefore, no disturbance may be made by mining activities if operated after obtaining Environmental clearance and consent from the State Pollution Control Board, in the coming future. [Annexure-4]
- G. No mining activities were observed and no mining cracks were observed in the mining lease. Water was found accumulated inside the mining pits. Photographs of the same are enclosed as Annexure-


Conclusions:-

Mining activities have been stopped since 2008 and the same is evident from the complaint verifications by Mining Department from time to time. A difference of 328.46 Tonnes of minerals has been assessed by Mining Department and a 30 days notice for seeking reply for exceeded production has been issued by Mining Office, Beawar vide letter dated 29.08.2022. The difference in the production may be due to the improper self assessment made by the lessee and an amount of Rs. 295614/- have been imposed by the Mining Department for the same.

As such, no illegal mining activities have been observed and thus, the complaint may not be considered as significant.


Shri Rahul Jain,
SDM, Beawar
Nominee of District
Collector, Ajmer


Shri Shyam Kapdi,
Mining Engineer,
Beawar


Shri Deepak Tanwar,
EE & Regional Officer,
RSPCB, Kishangarh,
Ajmer

तथ्यात्मक-प्रतिवेदन

श्री रमेश चंद बंसल पुत्र श्री मानशेखर बंसल निवासी रामनगर कॉलोनी, ब्रह्मानंद मार्ग, ब्यावर जिला अजमेर(राज0) के पक्ष में खनिज क्वार्टर, फ़ैल्सपार निकट ग्राम कानपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर में क्षेत्रफल 254.4046 हेक्टर हेतु खनन पट्टा सं. 05/1992 संविदा पंजीयन की तिथी से 20 वर्ष की अवधि हेतु शासन के आदेश क्रमांक प.2(1)खान/गुप-2/93 दिनांक 26.10.1993 से स्वीकृत हुआ एवं आवेदक द्वारा चाहने पर आदेश क्रमांक प.2(1)खान/गुप-2/98 दिनांक 30.03.1999 से 5.00 हेक्टर क्षेत्र के संशोधित आदेश जारी किये गये जिसका संविदा का निष्पादन दिनांक 22.04.1999 को होकर पंजीयन दिनांक 28.04.1999 को हुआ, जिससे उक्त खनन पट्टा दिनांक 28.04.1999 से 20 वर्ष के लिए प्रभाव में आया। उक्त खनन पट्टा तत्समय ग्राम देवाता के खसरा सं. 334 में सिवायचक में स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात पट्टाधारी के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र की जांच विभागीय ऑनलाईन (DMGOMS) पर करने पर पाया कि क्षेत्र 5.00 हेक्टर के स्थान पर 4.8907 हेक्टर ही बनता है जिसके क्रम में निदेशालय द्वारा आदेश क्रमांक निखाभू/अज/सीसी.5/प.1(1)5/1992/4736 दिनांक 20.11.2012 से पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 20.03.1999 में 5.00 हेक्टर के स्थान पर 4.8907 हेक्टर के संशोधित आदेश जारी किये गये जिसकी पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 15.03.2013 को हुआ।

एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 8ए में किये गये संशोधन अनुसार खनन पट्टे की अवधि दिनांक 27.04.2049 तक स्वतः बढ़ गई। कार्यालय पत्रांक 2324-27 दिनांक 27.02.2015 से खनन पट्टे की अवधि दिनांक 27.04.2049 तक की गई। भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.02.2015 से खनन पट्टा अप्रधान खनिज का हो गया। वर्तमान में उक्त खनन पट्टा दिनांक 27.04.2049 तक के वैध होकर प्रभावी है।

उक्त खनन पट्टा कार्यालय रिकार्ड अनुसार अरावली हिल्स रेंज में नहीं आता है। कार्यालय रिकार्ड अनुसार भी उक्त खननपट्टा क्षेत्र वन क्षेत्र में भी नहीं आता है। उक्त खनन पट्टा का माईनिंग प्लान आदेश दिनांक 30.03.2021 से अनुमोदित है जो वर्ष 2023-24 तक वैध है तथा खनन पट्टा की पर्यावरण क्लीयरेंस एवं कंसेंट टू ऑपरेट संबंधित विभाग से जारी नहीं है। वर्तमान में उक्तखनन पट्टे के ई-खनना पर्यावरण स्वीकृति तथा कंसेंट टू ऑपरेट के अभाव में कार्यालय द्वारा बंद है।

मूल पट्टाधारी श्री रमेशचंद बंसल का स्वर्गवास दिनांक 07.07.2021 को होने के कारण पट्टाधारी की पत्नी श्रीमती नलीनी बंसल पत्नी स्व0श्री रमेशचंद बंसल निवासी 10 शकुन स्वप्न फ्लेट्स, एल.जी. पुलिस चौकी के सामने, एल.जी. कार्नर, मनीनगर, अहमदाबाद सिटी, गुजरात के पक्ष में उक्त खनन पट्टा का नामांतरण श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान) जयपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जय/ब्यावर/ख.प. 05/92/07 दिनांक 05.01.2022 से स्वीकृत किया गया है जिसकी पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 28.03.2022 को हुई।

उक्त खनन पट्टे का विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान उक्त खनन पट्टा में खनन कार्य बंद होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त खनन पट्टा में बिना पर्यावरण स्वीकृति खनन करने की शिकायत कार्यालय में प्राप्त हुई है जिसकी जांच के दौरान उक्त खनन पट्टा में खनन कार्य बंद होना पाया गया है। शिकायत की जांच के दौरान एवं इससे पूर्व भी उक्त खनन पट्टा का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार :-

1. दिनांक 23.11.2016 को तत्कालीन खनि अभियन्ता द्वारा उक्त खनन पट्टा का निरीक्षण किया गया है जिसमें मौके पर खनन कार्य बंद पाया गया।
2. दिनांक 30.03.2017 को तत्कालीन खनि अभियन्ता द्वारा उक्त खनन पट्टे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार "मौका स्थिति के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में काफी समय से खनन कार्य बंद प्रतीत होता है" की टिप्पणी की गई।
3. दिनांक 09.07.2021 को खनिज विभाग व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन किया गया। सीमांकन के दौरान किये गये निरीक्षण में भी खनन कार्य बंद पाया गया।

4. दिनांक 19.10.2021 को कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान भी खनन कार्य बंद पाया गया।
5. दिनांक 20.10.2021 को उक्त खनन पट्टे में अवैध खनन की शिकायत की जांच खनिज विभाग, राजस्व विभाग तथा ग्राम पंचायत देवाता के सरपंच प्रतिनिधी की उपस्थिति में की गई। उक्त जांच के दौरान भी अवैध खनन नहीं होना पाया गया।
6. दिनांक 21.06.2022 को उक्त खनन पट्टा के संबंध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर कार्यालय से प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान भी खनन पट्टा में खनन कार्य बंद होना पाया गया तथा खनन कार्य के ताजा निशानात भी नहीं पाये गये।
7. दिनांक 04.08.2022 को उक्त खनन पट्टा में बिना पर्यावरण क्लीयरेंस के खनन कार्य की शिकायत की जांच के दौरान भी उक्त खनन पट्टा में खनन कार्य बंद होना पाया गया तथा खनन कार्य के ताजा निशानात भी नहीं होना पाया गया।
8. दिनांक 18.08.2022 को जिला परिषद सदस्य द्वारा उक्त खनन पट्टा के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान भी खनन पट्टा में खनन कार्य बंद होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार शिकायत के क्रम में पट्टाधारी को कार्यालय पत्रांक 265 दिनांक 21.06.2022 से नोटिस जारी किया जाकर उक्त खनन पट्टा में बिना पर्यावरण क्लीयरेंस के खनन कार्य किये जाने के अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिसके क्रम में पट्टाधारी द्वारा कार्यालय में प्रतिवेदन दिनांक 24.06.2022 को प्रस्तुत किया जाकर खनन कार्य पट्टाधारी द्वारा नहीं किया जाना अवगत कराया गया तथा उक्त अनाधिकृत खनन की शिकायत पट्टाधारी द्वारा जवाजा पुलिस थाना को भी दिया जाना अवगत कराया गया। उपरोक्त शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा यह अवगत कराया कि उक्त खनन पट्टा का हस्तान्तरण कर दिया गया है जबकि कार्यालय रिकार्ड अनुसार उक्त खनन पट्टा का हस्तान्तरण नहीं होकर मूल पट्टाधारी श्री रमेश चन्द बंसल की मृत्यु होने के कारण मृतक की पत्नी श्री नलीनी बंसल के पक्ष में नामांतरण हुआ है।

उक्त खनन पट्टा में बिना पर्यावरण क्लीयरेंस व कंसेंट टू ऑपरेट के खनन कार्य के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में ओरिजनल एप्लीकेशन सं. 60/2022 प्रस्तुत की गई।


खनि अभियन्ता,
ब्यावर

राजस्थान सरकार
कार्गिल खनि उद्योगिता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, ह्यावर
निरीक्षण रिपोर्ट

आम्र दिनांक 23/11/2016 को निम्नस्तताक्षरकर्ता मणू तकनीकी स्टाफ के निम्न खननपट्टों का निरीक्षण किया गया-

क्र.सं.	खननपट्टा सं.	निकट गाँव	तहसील	खनिज	पहाधारी नाम
1.	05/1992	कानपुरा	ह्यावर	खारन प्रफेसपर	शेखरमन्दू बे
2.	536/2005	सागरवास	ह्यावर	खारन प्रफेसपर	श्रीमति प्रमोद जोगिया
3.	76/2007	सागरवास	ह्यावर	खारन प्रफेसपर	श्री चेतन उमोड़
4.	198/2007	सागरवास	ह्यावर	खारन प्रफेसपर	चंद्रकांत जै

उपरोक्त सभी खननपट्टों में मौके पर खननकार्य बन्द पाया गया। उक्त खननपट्टों में नियमानुसार सूचना पत्र एवं सीमास्तम्भ लगो गरी पाये गये। उक्त खननपट्टों में नियमानुसार वृक्षारोपण भी नहीं किया गया है। मौके पर खननपट्टा क्षेत्र के सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड एवं प्रतिनिधि नहीं मिला।

875
5/12/2016

रज
 (No-1/24
 11/11/16)
 Beawar

23/11/2016

M.S. Beawar

copy रजनी कलक को देना।

राजस्थान - सरकार

कार्यालय खानि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग
ब्यावर (राज.)

CCF
10/04/17

निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक:

30.03.2017 को निम्न हस्ताक्षर
कर्ता द्वारा श्री रमेश बंशल के वक्ष में स्थित
खान पट्टा वाले खानि बंजर - फलसपार
निकर ग्राम - कानपुरा तहसील - ब्यावर
जिला - अजमेर, क्षेत्र - 4.890 है. का
मौका निरीक्षण किया।

मौका स्थिति के अनुसार खान पट्टा
क्षेत्र में काफी समय से खान कार्य बंद
प्रति होता है। मौका पर खान पट्टे के
सीमा स्तम्भ बोर्ड लगे नहीं पाये गये।
पर्यावरण संरक्षण हेतु भी पट्टेचारी इस
खान पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया
गया है। खानि विकास को दृष्टिगत रखते
है पट्टेचारी को तुरंत खान पट्टे में खान
कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

10/4/17


अधीन
ME Beawar

राजस्थान सरकार
कार्या: रबनी अभियन्ता, रवान एवं भू विज्ञान विभाग.

To CCI
द्वारा 12/07/2021

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/07/2021 को श्यामो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यालय के पत्र
प्रमाण 373 दिनांक 05/07/2021 की पालना में M.L.No. SA/1992
वास्तु रबनिज क्वार्टर - केन्द्राट, निचल गाम कानपुरा तहसील द्वारा
जिला इन्जिनेर में श्री रमेशचन्द्र बंसल के पक्ष में स्वीकृत खनन पहा
का संपुन्न सीमांकन मलापन किया गया। उक्त सीमांकन मलापन
पटवारी हज्जा पटवार मण्डल के साथ संपुन्न रूप में किया गया।
मौदे पर उक्त सीमांकन खनन कार्य बन्द पाया गया। उक्त सीमांकन
मलापन कार्यालय पञ्जावती के विवरण सूची अनुसार किया गया।
मौदे पर पटवारी जमिनी की सीमा मरम्मा की निशान देही
कराकर पट्टे सीमा मरम्मा निपमानुसार बनाई हेतु पाबन्द किया
गया। साथ ही खनन पहा क्षेत्र में ही खनन कार्य बन्द हेतु पाबन्द
किया गया।

पटवारी सिवार 

 08/07/2021
परदेवाता


MF Benwaran

उक्त सीमांकन - रवान - देवाता व ठीरा का
कार्यालय नया कानपुरा में कुमकुम देवसरा नं
334/1, 334/2 नं 329/1, में भुगतान शशाशेठार/
भुगतान नं. B, C, D, E, F, भुगतान नं. B, C शशाशेठार का कार्यालय
नं. E भुगतान नं. कानपुरा में नं. F भुगतान नं. देवाता में
रिमात

 08/07/2021
परदेवाता

Vijay


575
12/10/21

राजस्थान सरकार

मौख्य रिपोर्ट

आज दिनांक 19.10.21 को कार्यालय पर कुमांक 708 दिनांक 12.10.21 की पाठना में खनन पट्टा संख्या SA/1992 वाले खनिज ब्लॉक, डेक्सपार निकटवर्ती कानपुरा तहसील ब्यावर जिला अफमेर जो कि श्री रमेश चंद्र डेक्सल के नाम से स्वीकृत हो पट्टाधारि श्री रमेश चंद्र डेक्सल का रजिस्ट्रार दिनांक 7.7.21 को होने के कारण पट्टाधारि की पानी सीमानी नतीनी ब्लॉक द्वारा उक्त खनन पट्टे का नामांतरण संख्या के नाम करने हेतु माथीना पर इस कार्यालय में दिनांक 4.10.21 को प्रस्तुत किया है

To
CCI

20/10/21

मौख्य पर पट्टाधारि सारिनिधी श्री कर्णेश नाम उपस्थिति मिले। मौख्य पर उक्त खनन पट्टा द्वारा खनन कर गतिविधियाँ पूर्ण रूप से बंद पाई गई। मौख्य पर खनन पट्टे में लगी सूचना ~~पट्टे~~ पर आपत्ति आभंगण सात सूचना की लगी चर्चा की गई। उक्त आपत्ति आभंगण आत सूचना की लगी चर्चा कर इस संबंध में आस पास शमीली को जानकारी दी गई। मौख्य पर किसी भी सूचना की कोई आपत्ति दर्ज नहीं पाई गई। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त खनन पट्टे के नामांतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति प्रथम ऐतराज हो तो विनापित के पश्चात त्रिं स 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में प्रमाणित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर आपत्ति प्रथम ऐतराज प्रस्तुत कर सकते हैं सो सूचित रहे।

1647
20/10/21

ML SA/1992



राजस्थान सरकार

मौख्य रिपोर्ट

आज दिनांक 20/10/21 को सभामान खाते सम्मिलित, व्यापक के निदेशों की पालना में अधुनगत सीमांकन अन्तर्गत दिनांक 20/10/21 नियम की गई थी। जिसके क्रम में MAL No. 5/92 निकलवाने का नपुरा वरुणीय व्यापक जिला कजमेर खण्डिय चवारेण, फेलसपार के सीमांकन अन्तर्गत हल्का पवाररी, देवाला व सरपंच देवाला के प्रतिनिधि ही कुम्भीय सिंह की उपस्थिति में शिवाग्र स्थल का मौख्य देखा। मौके पर उपस्थित हल्का पवाररी व सरपंच प्रतिनिधि को कार्यलय रिपोर्ट व खसरा नक्शा सुबुखार खनन परटे के सीमासंभ की स्थिति बताई गई। कार्यलय रिपोर्ट सुबुखार उच्च खनन परटे खसरा संख्या 334, 334 में पडती है उच्च रिपोर्ट कार्यलय फावली में 3 में मौके पर उच्च खनन परटे के सीमासंभ पकड़े बने हुए नहीं पाए गए। मौके पर उपस्थित पटवधारी प्रतिनिधि को सीमासंभ पकड़े बनाने हेतु पावेद किया गया। पूर्व में भी उच्च खनन परटे की सीमांकन कार्यलय के तकनीकी कर्मचारी हल्का पवाररी, देवाला, भु.माने, देवाला की उपस्थिति में किया गया था। मिलकी रिपोर्ट खनन के मौख्य रिपोर्ट मौके पर बताई जाये व खसरा करवाए गए। मौके पर कार्यलय रिपोर्ट सुबुखार बरवेर खनन लेना नहीं पाया गया।

To
CCI
[Signature]
21/10/21

1646
21/10/21

रिपोर्ट पटवधारी देवाला, उपलब्ध नक्शा तथा पेंसिली तबकीय में भिन्नता पाई गई है।
[Signature]
[Signature]
[Signature]

राजस्थान सरकार

श्रीकृष्णसिंह खेतरी

आज दिनांक 18/8/22 को श्री राजेन्द्र लम्हाड़ बाबड़ी जिला परिषद सदस्य द्वारा शिवपुर में आयोजित श्रम पंचायत देवाता की रा.उ.मा के खेत मैदान के पास क्षेत्र माईन्स कीना, परत बरसाहर के पिछले लकड़समय से रोपाना 40-60 इंच पर क्षेत्र खण्ड निकाला जा रहा है 18/8/22 को एन.पी.टी ई.सी नहीं है क्षेत्र खनन किया जा रहा है इसी माईन्स के पास दोबरे अनेक क्षेत्र माईन्स पर खनन किया जा रहा है उक्त शिवपुर के काम में जोंच की गई 18/8/22 को सर्वे निरीक्षण किया गया। नौके पर उक्त खनन परते में खनन कार्य शुरू हुए से बंद पाया गया। नौके पर उक्त खनन परते में कोई बाधा निशान नहीं मिली कुदरपिटे में पानी भरा पाया गया। उक्त खनन परते के कामपास भी धुम धिर पर देखा गया। नौके पर कोई भी बाधा, मशीनरी माई क्षेत्र खनन करते नहीं पाया गया। पूर्व में दिनांक 4/8/22 को भी 18/8/22 को सर्वे निरीक्षण किया गया था। उस समय भी खनन कार्य बंद पाया गया था। पूर्व में उक्त खनन परते की शिवपुर जोंच की जा चुकी है। उक्त दौरान भी खनन कार्य बंद पाया गया था।

To
प/स
[Signature]

आज ही जिला परिषद सदस्य ने बट भी लम्हाड़ के श्रम देवाता, सुरजपुरा, जवाजा, बाबरा कोटड़ा में भी क्षेत्र खनन किया जा रहा है जिला सदस्य उंचर गाड़ी निकाले जा रहे है उक्त शिवपुर की भी जोंच की गई श्रम देवाता, सुरजपुरा, जवाजा बाबरा कोटड़ा क्षेत्रों पर निरीक्षण किया गया उक्त निरीक्षण नौके पर कोई बाधा, मशीनरी माई क्षेत्र खनन पर परिचलन करते हुए बंद पाया गया।

[Signature]
[Text]


खानदान संस्था

शिवपत जांच रिपोर्ट

आजमेवा 4/8/22 को हीमान खात्री कमिश्नर महादेश,
आपक के निदेशों की पालना में M2.NW. 5/92,
निकलाम कागपुरा (देवाला) लखनऊ व्यापक, कजमेर बिना
परिवरण कालीरियेशन के खनन परटे में खनन कार्य करने
की अपन शिवपत के जांच के क्रम में उक्त खनन
परटे का गैर निरीक्षण बाबर गोकुल पर सुकिया गया।

गोकुल पर उक्त खनन परटे में खनन कार्य की
रूप से बंद पाया गया गया। खनन परटे के सुकिया
से बरसाली पानी बहा पाया गया। खनन परटे में कोई
राजा निशान नही पाया गया। खनन परटे के निरीक्षण के
फोटो व विडियो लिगेगरी की रूप में भी उक्त खनन परटे
का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान भी खनन परटे में
खनन कार्य बंद पाया गया था। भासपाल में सुकिया की
गई के सारे कोड़ी उक्त खनन परटे में बिना स्वीकृति
के खनन कार्य चलाने से लुरत बिभा का यह सुचित
करे सो सुचित रहे। गोकुल रिपोर्ट बना लखनऊ ही

To
4/5



खानदान

राजस्थान सरकार

भौतिक स्तथापन विधायी

आज दिनांक 26/8/22 को माननीय राष्ट्रीय वास्तु शास्त्रीय समिति
 स्वीजेंट बेंच, ओपेरा हाउस द्वारा मूल प्रथम पत्र संख्या 60/
 2022 (स्वीजेंट) स्लोहनासिंह वनाम राजस्थान सरकार में
 पारित आदेश दिनांक 28.7.2022 की पालना में सीमांत
 841005 आदीवासी, व्यापार क्षेत्रीय कार्य. राज. राज्य
 प्रदूषण नियंत्रण मंडल, डिवाजनल व अथोरेसिटर वकील मय
 तकनीकी कमिश्नरिये द्वारा निम्नलिखित आनपुरा (देवाला) तहसील
 व्यापार, कपमेर स्थित खनन पट्टा संख्या 5/1992 व्यपक
 निरीक्षण किया गया। मौके पर ही अथोरेसिटर वकील की द्वारा
 उक्त खनन पट्टे में लगे पिटे के माप चौक वगैरहा बाधा
 निर्देशित किया गया। अथोरेसिटर वकील की द्वारा दिखे गये निम्नलिखित
 की पालना में खनन पट्टा संख्या 5/1992, वास्ते खनिज
 खादीष, फेकसपार निम्नलिखित आनपुरा (देवाला) तहसील-व्यापार
 जिला-कपमेर स्थित सीमती नखिनी बंसल के पक्ष में
 उक्त खनन पट्टा संख्या 5/92 के अंतर्गत प्रभापक्षीय ही व्यपक क्षेत्र
 निरीक्षण खनन पट्टा संख्या 5/92 में खनन कार्य बंद
 पाया गया। उक्त खनन पट्टे में खनन कार्य के लाजा निशानों
 नहीं पाये गये। मौके पर उक्त खनन पट्टे का सुचना पट्ट
 लगाया गया। निरीक्षण दौरान उक्त खनन पट्टे के सीमांत में
 C ही लगा पाया गया अन्य सभी सीमांत में मौके पर लगे
 हुए नहीं पाये गये। उक्त खनन पट्टे में लगे हुए पिटे
 का निरीक्षण कर माप चौक कर निकाले गये खनिज की
 गणना कर गई जो निम्न प्रकार है-

CC
 [Signature]

2307
 28/8/22

① पिटे - ① की गणना :- लम्बाई x चौड़ाई x गहराई x S.P.G. (गुणवत्ता)
 = 62मी. x 10.5मी. x 7.5मी. x 2.6
 P.70

$$= 12694.5 \text{ टन}$$

② पिट-2 की गणना:-

$$\frac{\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{गहराई} \times \text{S.P. gravity}}{\text{(माइनिंग प्लान अनुसार)}}$$

$$= 8 \text{ मी.} \times 5.5 \text{ मी.} \times 3.1 \text{ मी.} \times 2.6$$

$$= 354.6 \text{ टन}$$

③ पिट-3 की गणना:-

$$\frac{\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{गहराई} \times \text{S.P. gravity}}{\text{(माइनिंग प्लान अनुसार)}}$$

(माइनिंग प्लान अनुसार)

$$= 10 \text{ मी.} \times 6.5 \text{ मी.} \times 2.5 \text{ मी.} \times 2.6$$

$$= 422.5 \text{ टन}$$

④ पिट-4 की गणना:-

$$\frac{\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{गहराई} \times \text{S.P. gravity}}{\text{(माइनिंग प्लान अनुसार)}}$$

(माइनिंग प्लान अनुसार)

$$= 8.0 \text{ मी.} \times 6.1 \text{ मी.} \times 3.5 \text{ मी.} \times 2.6$$

$$= 444.0 \text{ टन}$$

⑤ पिट-5 की गणना:-

$$\frac{\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{गहराई} \times \text{S.P. gravity}}{\text{(माइनिंग प्लान अनुसार)}}$$

(माइनिंग प्लान अनुसार)

$$= 31.5 \text{ मी.} \times 10.5 \text{ मी.} \times 7.7 \text{ मी.} \times 2.6$$


$$= 4519.5 \text{ टन}$$


भौतिक स्थापन व गणना अनुसार निकाले गये खनिज की मात्रा = 18435.1 टन है। माइनिंग प्लान अनुसार खनिज आवरण, फ्लोपार की Recovery 70% है। इस अनुसार निकाले गये कुल खनिज की मात्रा = 12904.5 टन है। स्वतः खनन पट्टे से कार्यालय रिकार्ड अनुसार वर्ष 2008 तक खनिज का निर्गमन 12576.04 टन है। इसके पश्चात स्वतः खनन पट्टे का उत्पादन / निर्गमन शून्य है। अतः भौतिक स्थापन माप पिटों की गणना के आधार पर निर्गमित खनिज व कार्यालय रिकार्ड अनुसार निर्गमित खनिज में 328.46 टन का अंतर पाया गया। इस अंतर पर्याप्त की कार्यलय द्वारा नोटिस जारी किया जाना अर्हत होगा। साथ ही



Cont...

उपरोक्त स्थान पर 428 को संचालन नहीं किया जाना पाया गया।
 मोड़ पर स्थान पर 428 को स्थान पिटों के निर्देशों को भी
 किया गया जो नए नक्शों में दिखाए गए हैं मोड़ पर
 स्थान पिटों के माप-चौक दौरान फोटोशापी भी की गई जिनकी
 सारी संलग्न हैं



नए नक्शा:-
























Annex - 4

खनन पट्टा सं. 5ए/1992 वास्ते खनिज फ़ैल्सपार व क्वार्टज निकट ग्राम कानपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर के उत्पादन के आंकड़े कार्यालय रिकार्ड अनुसार निम्नानुसार है-

(Date base as per period of Assessment period)

(Figures In Tons)

S. NO.	Period	Production Mineral		Total	Dispatch Mineral		Total
		Feldspar	Quartz		Feldspar	Quartz	
1	28.04.1999 to 27.04.2000	1221.807	66	1287.807	1421.80	100.540	1522.34
2	28.04.2000 to 27.04.2001	1675	01	1676	1290	30	1320
3	28.04.2001 to 27.04.2002	4662	43	4705	5029	63	5092
4	28.04.2002 to 27.04.2003	1280	00	1280	1335	16	1351
5	28.04.2003 to 27.04.2004	418	43	461	331	13	344
6	28.04.2004 to 27.04.2005	786	292	1078	726	243	969
7	28.04.2005 to 27.04.2006	886	0	886	896	00	896
8	28.04.2006 to 27.04.2007	217	00	217	232	00	232
9	28.04.2007 to 27.04.2008	829	00	829	814	00	814
10	28.04.2008 to 27.04.2009	00	00	00	35.70	00	35.70
11	28.04.2009 to 31.03.2013	00	00	00	00	00	00
12	01.04.2013 to 31.03.2014	00	00	00	00	00	00
13	01.04.2014 to 31.03.2015	00	00	00	00	00	00
14	01.04.2015 to 31.03.2016	00	00	00	00	00	00
15	01.04.2016 to 31.03.2017	00	00	00	00	00	00
16	01.04.2017 to 31.03.2018	00	00	00	00	00	00
17	01.04.2018 to 31.03.2019	00	00	00	00	00	00
18	01.04.2019 to 31.03.2020	00	00	00	00	00	00
19	01.04.2020 to 31.03.2021	00	00	00	00	00	00
20	01.04.2021 to 31.03.2022	00	00	00	00	00	00
Total		11974.807	445	12419.81	12110.50	465.54	12576.04

खनि अभियन्ता,
ब्यावर

रजि0ए0डी0

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर

खनिज-भवन / Khanij Bhawan, 18-19, नाकोडा कॉलोनी, उदयपुर रोड, ब्यावर / 18-19 Nakoda Colony, Udaipur Road, Beawar (Raj.)

E-MAIL: ME.BEAWAR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक : खअ/ब्यावर/सीसी-1/एम.एल. 5/92/ 348

दिनांक :- 29-08-22

प्रेषित :-

श्रीमती नलीनी बंसल पत्नी स्व0श्री रमेशचंद बंसल
निवासी 10 शकुन स्वप्न फ्लेट्स, एल.जी. पुलिस चौकी के सामने,
एल.जी. कार्नर, मनीनगर, अहमदाबाद सिटी, गुजरात

विषय:- खनन पट्टा संख्या 5/1992 वास्ते खनिज क्वार्टर, फैंसपार निकट ग्राम कानपुरा(देवाता) तहसील ब्यावर जिला अजमेर के भौतिक सत्यापन के कम में।

प्रसंग:- माननीय राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण मे लंबित मूल आवेदन संख्या 60/2022 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष मे प्रभावशील खनन पट्टा संख्या 5/1992 का माननीय राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण मे लंबित मूल आवेदन संख्या 60/2022 मे पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 की पालना में दिनांक 26.08.2022 को इस कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार उक्त खनन पट्टे से आज दिनांक तक 12904.5 टन खनिज क्वार्टर, फैंसपार का खनन कर निर्गमन किया गया है जबकि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार आपके खनन पट्टे से आज दिनांक 12576.04 टन खनिज क्वार्टर, फैंसपार का खनन कर निर्गमन किया गया है। इस प्रकार उक्त खनन पट्टे से 328.46 टन अधिक खनिज क्वार्टर, फैंसपार का निर्गमन किया गया है जो कि एमएमसीआर 2017 व एमएमडीआर 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है साथ ही उक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि खनन पट्टे के सीमा स्तम्भ नियमानुसार नहीं बने हुए है तथा ना ही नियमानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

अतः इस नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस मे अवधि मे इस सम्बन्ध मे अपना जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों ना उक्त 328.46 टन अधिक निर्गमन को अवैध खनन निर्गमन की श्रेणी मे मानते हुए शास्ती राशि 295614/- (अक्षरे दो लाख पचानवे हजार छः सो चौदह रुपये मात्र) आप पर आरोपित की जाकर वसूल की जावे तथा साथ ही शेष उल्लंघन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे। सो सूचित रहे।



(श्याम कामडी)
खनि अभियन्ता,
ब्यावर

दिनांक :- 29-08-22

क्रमांक: समसंख्यक/2022/ 349-351
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, जिला अजमेर।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर वृत्त, अजमेर।
3. श्रीमान पर्यावरणीय अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ जिला अजमेर।



खनि अभियन्ता,
ब्यावर

०/८